

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/21/10136

जयपुर, दिनांक 21/11/21

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 9410 दिनांक 04.10.2021 द्वारा विभाग द्वारा संचालित राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड विद्यालय स्तरीय छात्रावासों एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाईन प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 नियत की गई थी।

विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र कम प्राप्त होने के कारण से अन्तिम तिथि को दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर दिनांक 30 नवम्बर 2021 की जाती है।

इसी प्रकार प्रवेश की वरीयता सूची जारी करने की तिथियां भी निम्नानुसार नियत की जाती हैं:-

वरीयता सूची	प्रस्तावित नियत दिनांक
अष्टम सूची	15 नवम्बर 2021
नवमी सूची	01 दिसम्बर 2021

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/21/10137-47 जयपुर, दिनांक 21/11/21
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त)
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
7. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
8. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
10. आदेश पत्रावली।

(रतन लाल अटल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)